

२३ LPP 2016

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

एन एल बी री

॥ आदेश ॥

भोपाल दिनांक 16 सितम्बर 2016

क्रमांक: एफ 19-50/2016/1/4 :: भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई स्टेण्ड-अप इण्डिया योजना के तारतम्य में सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा अपने अ.शा. पञ्च क. 28/2/2016 आई एफ—।। दिनांक 31 मार्च 2016 से किये गये लेख के संदर्भ में राज्य शासन, एतद द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का निम्नानुसार गठन करता है :—

1	श्री कुंवर सिंह टेकाम, मा. विधायक, जिला सीधी	सदस्य
2	श्री अंचल सोनकर, मा. विधायक, जिला जबलपुर	सदस्य
3	श्रीमती नीना वर्मा, मा. विधायक, जिला धार	सदस्य
4	क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
5	महाप्रबंधक, सिडबी	सदस्य
6	मुख्य महाप्रबंधक, नाबाड़	सदस्य
7	प्रमुख सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग	सदस्य
8	प्रमुख सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग	सदस्य
9	प्रमुख सचिव/सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	सदस्य
10	प्रमुख सचिव/सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	
11	प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग	
12	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगम मर्यादित	सदस्य
13	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम मर्यादित	सदस्य
14	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	सदस्य
15	राज्य स्तरीय प्रमुख, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बडौदा	सदस्य
16	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	संयोजक

16

निरंतर 2

- 2/ उक्त समिति की संदर्भ शर्ते निम्नानुसार रहेगी :—
- 1 योजना अंतर्गत प्रगति की मॉनिटरिंग तथा कियान्वयन की समीक्षा करना।
 - 2 राष्ट्रीय स्तर की स्टीयरिंग समिति/कोर ग्रुप को योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सुझाव देना।
 - 3 रेटेंड—अप इण्डिया योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु समय—समय पर निर्धारित अन्य भूमिका।
- 3/ संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा आयुक्त, संस्थागत वित्त के माध्यम से समिति की बैठक आयोजित की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आवश्यनुसार

(श्याम बाई धुर्वे)

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 19-50/2016/1/4

भोपाल, दिनांक ६ सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि:—

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/संयोजक।
 3. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
 4. वित्त विभाग की ओर जारी आदेश के साथ मूल नस्ती सहित।
 5. उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग